झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश संख्या :– 5/आरोप–1–634/2014 का० ...8059../राँची, दिनांक ..19..सितम्बर, 2016

श्री सोनाचाँद दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–199/03, गृह जिला–धनबाद), सेवानिवृत्त अपर समाहर्त्ता, के विरूद्ध कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पदस्थापन काल (वर्ष 1992–93 तथा 1993–94) में उप कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर 7 दिनों के प्रतिनियुक्ति के दौरान पशुपालन विभाग के विपत्र पारित करने में साजिश कर फर्जी निकासी करने संबंधी आरोपों हेतु न्यायिक हिरासत में रहने के कारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के आदेश सं0–4335, दिनांक 03.08.2001 द्वारा हिरासत अवधि दिनांक 26.07.2000 से 23.03.2001 तक निलंबित मानते हुए दिनांक 23.03.2001 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। श्री दास लगभग 10 वर्षों तक निलंबित रहने के पश्चात् दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त हो गयें।

2. श्री दास को प्रतिवेदित आरोपों हेतु सी0बी0आई ट्रायल कोर्ट द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत् दोषी पाते हुए सजा दी गयी एवं अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए विभागीय संकल्प सं0–5746, दिनांक 08.07.2016 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम–139(बी) के तहत् पेंशन से पाँच प्रतिशत पेंशन कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. अतः निलंबन अवधि दिनांक 26.07.2000 से 30.06.2010 को सेवा संहिता के नियम–97 के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि इन्हें निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ भी देय नहीं होगा। निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशनादि के गणना के प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19.9.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–634/2014 का० ...8059./राँची, दिनांक ..19..सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.9.16

सरकार के उप सचिव।